मध्य प्रदेश
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्र/डी–17/5/2015/14–2, भोपाल, दिनांक 20 मई 2016

प्रति,

1 उप संचालक,
किसान कल्याण तथा कृषि विकास,
जिला................................ (समस्त)

2 परियोजना संचालक (आत्मा),
किसान कल्याण तथा कृषि विकास,
जिला................................ (समस्त)

3 कृषि यंत्री/सहायक कृषि यंत्री,
जिला................................ (समस्त)

विषय : कृषि यंत्रों एवं सिंचाई उपकरणों के अनुदान पर वितरण की ऑनलाईन प्रक्रिया वर्ष 2016–17 में निरंतर जारी रखने के संबंध में।

विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 15 सितंबर 2015, 5 जनवरी 2016, 30 जनवरी 2016 एवं 15 मार्च 2016 द्वारा प्रदेश के किसानों को विभिन्न कृषि यंत्रों को अनुदान पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था में पारदर्शिता लाने हेतु वर्ष 2015–16 से ऑनलाईन अनुदान व्यवस्था लागू थी। यह व्यवस्था विचारोपरांत राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि वर्ष 2016–17 में भी लागू रहेगी। वर्ष 2016–17 में निम्नानुसार कार्यवाही की जावे :–

1. कृषकों के चयन का आधार प्रथम आओ प्रथम पाओ रहेगा। अर्थात वर्ष 2015–16 में लंबित पंजीयन आवेदक की अर्हता एवं पात्रता प्रमाणित होने की शर्त पर वर्ष 2016–17 में भी मान्य रहेंगे।
2. संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास वर्ष 2016–17 के मदवार/जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य तत्काल जारी करेंगे। जिला अधिकारी इन लक्ष्यों को आवश्यकता अनुसार जिले के विकासखण्डों में विभाजित कर एम.पी.एग्रो को उपलब्ध करायेंगे। लक्ष्य से अधिक स्वीकृतियाँ जारी नहीं की जावेगी।
3. कृषकों के नवीन पंजीयन दिनांक 30.05.2016 से प्रारंभ किये जावेंगे। पंजीयन दिनांक 20 जून 2016 तक किये जा सकेंगे। अंतिम तिथि के पश्चात् आवश्यकता अनुसार नवीन पंजीयन के लिए निर्देश जारी किये जावेंगे।
4. जिला खरगौन एवं खण्डवा में गत वर्ष 2015–16 में पंजीकृत कृषकों की पर्याप्त संख्या के कारण स्प्रिंकलर, ड्रिप एवं पाईप लाईन के पंजीयन वर्ष 2016–17 में आगामी आदेश तक बंद रहेंगे।
5. उक्त के अतिरिक्त शेष प्रक्रिया गतवर्ष के अनुसार संपादित की जावेगी। उक्त संदर्भित परिपत्रों की आवश्यक रूप से पालना सुनिश्चित की जावेगी।

निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

20/5/16
(बी एस धुर्वे)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

क्र / डी–17 / 5 / 2015 / 14–2, भोपाल, दिनांकः 20 मई 2016

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. विशेष सहायक, मा. मंत्री जी, म.प्र. शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, भोपाल।
2. निज सहायक, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
3. निज सहायक, अपर मुख्य सचिव सह कृषि उत्पादन आयुक्त, म.प्र. शासन, भोपाल।
4. निज सहायक, प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, भोपाल।
5. संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, भोपाल।
6. संचालक, कृषि अभियांत्रिकी, भोपाल।
7. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम / म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ, भोपाल।
8. संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, संभाग .... (समस्त)।

20.5.16

(बी एस धुर्वे)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग